

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3)व तत्वधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3)के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र

का प्रारूप

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (जन्म)

शपथ ग्रहता/ग्रहिता की
हस्ताक्षरयुक्त नोटेरी
प्रमाणित पासपोर्ट
साईज़ फोटो।

मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री वर्तमान आयु
निवासी (वर्तमान पूर्ण पता) (लड़का/लड़की से सम्बन्ध लिखें) शपथ पूर्वक बयान
करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम) ने एक जीवित लड़का/लड़की जिसका नाम लिंग जन्म तिथि जन्म रथान का पूर्ण पता जन्म रथान का वार्ड नं.
पिता का नाम बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता माता-पिता का स्थाई पता
को शहर/गाँव में जन्म दिया है।
2. यह कि लड़का/लड़की के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के
दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चित्र कर दी गई है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उप
रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज
करवाऊंगा/करवाऊंगी।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य
हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं
जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी हूँ।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि
उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु
रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह
आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया
जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3)व तत्वधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3)के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र
का प्रारूप

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ ग्रहता/ग्रहिता की हस्ताक्षरयुक्त नोटेरी
प्रमाणित पासपोर्ट
साईंज फोटो।

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीवर्तमान आयु

निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....(मृतक से सम्बन्ध लिखें)शपथ पूर्वक बयान
करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मृतक का नाममृतक का लिंगमृत्यु दिनांकमृत्यु के स्थान का पूर्ण पतामृत्यु स्थान का वार्ड नं.मृतक की माता का नाम(मृतक के पिता/पति का नाम)मृतक का मृत्यु के समय का पतामृतक का स्थायी पताकी मृत्युशहर/गांव में हो गई है।
2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चर्चा कर दी गई है।
4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांकसे पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

अंगूठा निशान /हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्तशपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान/हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्कनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना को सुनिश्चित कर रथानीय रप्रिस्ट्रार जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांकको जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर